संख्या-784/2016/2493/69-1-16-96(अ०सं०-37)/2016

प्रेषक,

एच०पी० सिंह

विशेष सचिव

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 01 नवम्बर, 2016

विषय वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 में शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत जनपद-गौतमबुद्ध नगर की 22 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3651/02/26/63/दस/2012-13, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-गौतमबुद्ध नगर की न०पा०प० दादरी की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 22 परियोजनाओं हेतु कुल रू० 815.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रू० 407.55 लाख (रूपये चार करोड़ सात लाख पचपन हजार मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)/2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

क्रमशः.........2

पी०मो०सी०/मो०सी०दास/मो०मो०सेल

T2
2/11/16

576/T2

4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इू (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इूडा का होगा।

8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।

10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।

11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/इूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव तथा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

क्रमशः..........3

16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक ''2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग तथा नाली आदि का निर्माण-00-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'' के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत् जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-784/2016/2493(1)/69-1-16, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, गौतमबुद्ध नगर ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 784 /2016/2493(1)/69-1-16-96(अ0सं0-37)/2016, दिनांक 01 ~~नवम्बर,~~ दिसम्बर 2016 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जा रही धनराशि।
1	गौतमबुद्ध नगर	न0पा0परि0 दादरी	मो0 नई आबादी (पार्ट-1) में मदीना मस्जिद वाली गली, फारूख वाली गली, सरवर के मकान से हसीना के मकान तक एवं बदलता के मकान से चिवाने (शमशान) तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	39.83	19.915
2	तदैव	तदैव	मो0 नई आबादी (पार्ट-2) में साबीर वाली गली, खचेडू वाली गली एवं चौक से मेन रोड तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	39.10	19.55
3	तदैव	तदैव	मो0 नई आबादी (पार्ट-3) में बुन्दू तेली वाली गली, शेरू वाली गली, अल्हाह बक्श वाली गली एवं इलियास वाली गली में इण्टरलाकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	32.53	16.265
4	तदैव	तदैव	मो0 नई आबादी (पार्ट-4) में बाबू के मकान से नसीम के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	35.87	17.935
5	तदैव	तदैव	मो0 नई आबादी (पार्ट-5) में मैन कटैहरा रोड से सफीम के मकान तक एवं रियासूद्दीन के मकान से कलवा के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	39.14	19.57
6	तदैव	तदैव	मो0 नई आबादी (पार्ट-6) में सुरेश वाली गली, कुरैशी वाली गली, मौबीन वाली गली एवं शौकीन वाली गली में इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	37.96	18.98
7	तदैव	तदैव	मो0 नई आबादी (पार्ट-7) में हाकिम के मकान से आस मो0 के मकान तक, नसरू वाली गली, सबरूद्दीन के मकान से कुरैशी के मकान तक एवं अनवर वाली गली में इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	39.81	19.905
8	तदैव	तदैव	मो0 नई आबादी (पार्ट-8) में युनूस वाली गली, शौकत के मकान से दीलपुवार के मकान तक, फारूख के मकान से मीनू के मकान तक एवं मुन्नी के मकान से जैकब के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	39.52	19.76
9	तदैव	तदैव	मो0 नई आबादी (पार्ट-9) में इसलाम के मकान से मदीना के मकान तक, अस्फाक के मकान से कल्लन के मकान तक, हसरू के मकान से मस्त्हीन के मकान तक एवं रहीस के मकान से सोवत के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	39.84	19.92
10	तदैव	तदैव	मो0 नई आबादी (पार्ट-10) में मदीना मेम्बर के मकान से कब्रिस्तान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	20.16	10.08
11	तदैव	तदैव	मो0 नई आबादी (पार्ट-11) में मदीना मेम्बर से सरकारी स्कूल तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	39.65	19.825
12	तदैव	तदैव	मो0 नई आबादी (पार्ट-12) में मुस्लिम स्कूल से विलाल मस्जिद तक, जुल्फकार के मकान से सिराजूद्दीन के मकान तक	39.60	19.80

http://shasanadesh.up.nic.in

			एवं अज्जू के मकान से ननवा के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।		
13	तदैव	तदैव	मो0 नई आबादी (पार्ट-13) में नवाबुद्दीन के मकान से यामीन के मकान तक एवं रियासूद्दीन के मकान से जरीना के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	38.40	19.20
14	तदैव	तदैव	मो0 नई आबादी (पार्ट-14) में रेहान टेलर से ताहीर के मकान तक, पप्पू के मकान से रिजवान के मकान तक, इमरान के मकान से मस्जिद तक एवं हारून वाली गली में इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	39.89	19.945
15	तदैव	तदैव	मो0 नई आबादी (पार्ट-15) में इरफान के मकान से नोरूद्दीन के मकान तक, यामीन के मकान से अनवर के मकान तक एवं फुरकान के मकान से जमील के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	39.90	19.95
16	तदैव	तदैव	मो0 नई आबादी (पार्ट-16) में मेन रोड से नूरे के मकान तक एवं नूरे के मकान से नवी मस्जिद तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	38.51	19.255
17	तदैव	तदैव	मो0 नई आबादी (पार्ट-17) में मेन रोड से बबलू मेवाती के मकान तक एवं रिजवान के मकान से हाजी कालवा के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	38.73	19.365
18	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-18 मो0 नई आबादी (पार्ट-1) में बाबू के मकान से निजाम के मकान तक, हाजी सलीम के मकान से मुख्तियार के मकान तक, मुंशी के मकान से जाहिद के मकान तक एवं अनवर के मकान से यामीन के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	33.17	16.585
19	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-18 मो0 नई आबादी (पार्ट-2) में हाजी सरवर के मकान से शौकत के मकान तक, अब्दुल के मकान से फारूख के मकान तक, सलेम के मकान से नवाब मेवाती के मकान तक एवं आस मो0 के मकान से जौहर खान के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	36.99	18.495
20	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-18 मो0 नई आबादी (पार्ट-3) में बिट्टू के मकान से हकीकत के मकान तक एवं इबराम के मकान से सुबरी के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	33.81	16.905
21	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-18 मो0 नई आबादी (पार्ट-4) में असलम मेडिकल स्टोर से नसरूद्दीन के मकान तक, राजू सैफी के मकान से सिराज के मकान तक, फकीरा की दुकान से इस्लाम के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	33.16	16.58
22	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-18 मो0 नई आबादी (पार्ट-5) में जयामुद्दीन पप्पल एवं इस्लाम के मकान होते हुये फजले के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	39.53	19.765
			योग	815.10	407.55

(रूपये चार करोड़ सात लाख पचपन हजार मात्र)।

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in